

समाचार.प्रकाशनार्थरू.

रतलाम नगर के इतिहास में पहली बार कचरा संग्रहण वाहनों ने कचरा संग्रहण हेतु 1 दिवस में लगाई 214 ट्रीप

कचरा संग्रहण हेतु 5 ट्रीप लगाने वाले ड्रायवर व हैल्परों का हुआ सम्मान

रतलाम 15 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छ.सुन्दर बनाने तथा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 बनाने हेतु नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के चालकों व हैल्परों ने 15 मार्च को मुस्तैदी से कार्य करते नगर के 49 वार्डों के घरों से कचरा संग्रहण हेतु 214 ट्रीप लगाकर इतिहास रचा।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कचरा संग्रहण वाहन के ऐसे ड्रायवर व हैल्पर जो कि वार्डों में घर.घर से कचरा संग्रहण हेतु प्रतिदिन 5 या उससे अधिक ट्रीप लगा रहे हैं उनका सम्मान किया जा रहा है जिसके तहत 13 मार्च को कचरा संग्रहण हेतु 5 ट्रीप लगाने वाले ड्रायवर सर्वश्री राकेश पाटीदारए मुकेश बैरागीए सुनील मांगीलालए नूर मोहम्मदए हैल्पर सर्वश्री नरेन्द्र.ओमप्रकाशए दौलतरामए तुशार घोसर व विवेक.सुरेन्द्र का पलसोड़ा स्थित वर्कशॉप में कार्यपालन यंत्री श्री जीण्केण जायसवालए श्री मोहम्मद हनीफ़ बेखए उपयंत्री श्री मनीश तिवारीए लिपिक श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान द्वारा पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया।

15 मार्च मंगलवार को कचरा संग्रहण हेतु वार्डों में 5 व 6 ट्रीप लगाने वाले ड्रायवर सर्वश्री सुनील.मांगीलालए राहूल नाहरए अरविन्द चौहानए मुकेश बैरागीए विषाल कौषलए जितेन्द्र सिन्दलए मुकेशए सुनील बैरागीए प्याम उंटवालए पवन प्रेमदासए हिम्मत कंडारेए मनोजए नूर मोहम्मदए कैलाश मईड़ाए साहिर खानए सादिक कुरेबीए तौसिफए जीवन कचरूए कैलाश परमारए वसीम कादरी व हैल्पर सर्वश्री लखन सुभाशए दीपक लच्छुए राहूल दशरथए दौलतरामए गोपाल मांगीलालए लखन दीपकए अभिशोकए प्रवीण पारोचेए सुमित चौहानए गौरव भाटीए निर्मल हाड़ेए लेखराज बालीए

विवेक सुरेन्द्र ए सुमीत ए संदीप षिन्दे ए विषाल कुवंरपाल ए संदीप मुन्ना ए मुकेश दिनेष ए आनन्द व देवेन्द्र राजेन्द्र का 16 मार्च बुधवार को प्रातः पलसोड़ा वर्कशॉप में सम्मान किया जावेगा।

श्वान बधियाकरण निगरानी समिति के 3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त

रतलाम 15 मार्च । शहर में आवारा श्वानों के बधियाकरण कार्य को सुचारू रूप से करने व कार्य में पशु क्रूरता नियम 1960 की पालना को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा आदेशानुसार एनिमल बर्थ कन्ट्रोल ,डॉग्स रूल 2001 सब सेक्ष ;1 रू सेक्षन 38 पीप्सीएण 1960 ;59 ऑफ 1960 रू डॉग्स रूल के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा गठित निगरानी समिति के 3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त की गई।

निगरानी समिति सदस्य श्रीमती आषा पति ईश्वरलाल गुप्ता ;एनिमल एक्टिविस्ट रू श्रीमती आपरा पति पुशपेन्द्र खण्डेलवाल सोष्यल वर्कर व सुश्री षिल्पा पिता विजय कुमार जोषी सोष्यल वर्कर द्वारा 2 मार्च को अजन्ता पैलेस क्षेत्र में श्वान पकड़ने वाली टीम द्वारा पकड़े गये श्वानों को छुड़वाकर भगाने का कृत्य कर षासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने व संबंधितों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज होने पर तीनों सदस्यों की सदस्यता समाप्त की गई।

ट्रीटेड वॉटर का प्रतिदिन हो रहा है रियूज

ट्रीटेड वॉटर का निर्माण कार्यो में उपयोग कर भूजल स्तर का बचाये

15 मार्च को 81 हजार लीटर ट्रीटेड वॉटर का हुआ रियूज

रतलाम 15 मार्च । सीवरेज योजना के करमदी व खेतलपुर एसटीपी प्लांट में सीवरेज वॉटर को ट्रीटेड किया जाकर नगर निगम व निर्माण ठेकेदारो द्वारा उसका रियूज किया जा रहा है जिसके तहत 15 मार्च मंगलवार को 81 हजार लीटर ट्रीटेड वॉटर का रियूज किया गया।

15 मार्च मंगलवार को करमदी एसटीपी प्लांट 6 टैंकर रोड डिवाइडर व डिवाइडर में लगे पौधो की सिंचाई हेतु पहुंचाये गये व 6000 लीटर का 1 टैंकर निर्माण ठेकेदार द्वारा 300₹ की राशि जमा कराने पर विक्रय किया गया इसके अलावा खेतलपुर एसटीपी प्लांट 2 टैंकर रोड डिवाइडर व डिवाइडर में लगे पौधो की सिंचाई हेतु पहुंचाये गये 2 टैंकर निर्माण ठेकेदार राहूल नवलखखा द्वारा 500 रूपये की राशि जमा कराने पर विक्रय किया गया तथा एक टैंकर एसटीपी प्लांट के उद्यान में उपयोग किया गया।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सिविल कार्य के ठेकेदार भवन निर्माण करने वाले नागरिक आदि से अपील की है कि वे भवन निर्माण कार्य में ट्यूबवेल का पानी उपयोग ना करते हुए नगर निगम के खेतलपुर व करमदी एसटीपी प्लांट से 50₹ प्रति किलोलीटर के मान से ट्रीटेड वॉटर क्रय करके भवन का निर्माण करें जिससे ट्रीटेड वॉटर का रियूज हो सकें व भूजल स्तर को भी बचाया जा सकें।

कचरा संग्रहण वाहन के 18 ड्रायवरो का आधे दिवस का वेतन काटा

सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना.पत्र जारी

रतलाम 15 मार्च । कचरा संग्रहण वाहनों से 14 मार्च सोमवार को वार्डों में 5.5 ट्रीप लगाये जाने के निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देश के बाद भी कचरा संग्रहण वाहनों के 18 ड्रायवरो द्वारा निर्देशानुसार कार्य नहीं किये जाने पर आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने के कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

आदेश की अवहेलना करने पर कचरा संग्रहण वाहन चालक जितेन्द्र तोमर, सुनील बैरागी, शुभम् चनाल, अजयसिंह, धीरज बाली, कृष्णपालसिंह, देवकरण जावलिया, राजेश देवड़ा, विकास.अशोक, पवन जेथपुरिया, अरविन्दसिंह, अभिशोक आर्य, मुकेश पवार, बसंत.मांगीलाल, राकेश चौहान, जीवन.कचरू, जितेन्द्र जोषी

नगर निगम के विभिन्न करों से 23^{७51} लाख राजस्व प्राप्त हुआ
रतलाम 15 मार्च । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास शाखाए
बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 15 मार्च
मंगलवार को कुल राशि रूपये 23^{७51}७043^६ का राजस्व प्राप्त हुआ।
नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 15 मार्च सोमवार को संपत्तिकर कार्यालय से
434405^७ वसूली दल 574015 कुल 1008420^७ जलकर कार्यालय से 148310^७ स्पॉट
फाईन 32600^७ लायसेंस 7165 दुकान गुमटी किराया कार्यालय 24323 व वसूली दल
70216 कुल 94539 लीजरेंट 1060009 इस तरह कुल राशि रूपये 23^{७51}७043^६ का
राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

15 मार्च को 95 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पहुंचा
रतलाम 15 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर
निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया
जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले
कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^३ चिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा
रहा है जिसके तहत 15 मार्च मंगलवार को 95 टन से अधिक कचरा जुलवानिया
टे^३ चिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

15 मार्च मंगलवार को डम्पर से 23940 किलोए टे^३ कटर से 14110 किलोए मैजिक
सूखा कचरा 36755 किलोए मैजिक गीला कचरा 20640 किलोए सेनेटरी वेस्ट 9 किलो
व घरेलू हानिकारक कचरा 2 किलो इस तरह कुल 95456 किलो कचरा जुलवानिया
टे^३ चिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

100 माईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 15 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र
रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक

प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड ए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक ए प्लास्टिक झण्डे ए कैंडी स्टिक ए आईस्क्रीम स्टीक ए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल ए प्लास्टिक प्लेट्स ए कप ए ग्लास ए फोर्क ए चम्मच ए चाकू ए स्ट्रॉ ए टैप ए स्वीट बाक्स ए निमंत्रण पत्र ए सिगरेट पैकेट को कचहर करने वाली पैकिंग फिल्म ए प्लास्टिक स्टिर्स व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। रतलाम नगर के समस्त प्लास्टिक, पॉलीथीनद्ध निर्माता ए भण्डारकर्ता ए विक्रेता ए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारण ए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ ए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने का अभियान निरंतर जारी
1422 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

रतलाम 15 मार्च । नगर को साफ स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो ए सड़को ए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 1422 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 15

मार्च तक 1422 मवेशियों को पकड़ा जाकर गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 15 मार्च को लक्कड़पीठाए पैलेस रोड से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500६ वसूल करेगा

14 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त रतलाम 15 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 14 व दोपहर की शिफ्ट में 4 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

15 मार्च मंगलवार को वार्डों में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में रैनाबाई पति विनोदए जितेन्द्र.प्रहलादए बादल.दिलीपए अजय.विनोदए सुनील.षंकरलालए झोन क्रमांक 2 में वर्शाबाई पति पवनए झोन क्रमांक 4 में दीपक.राजूए जितेन्द्र.भारतए दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 1 में विजय.

षांतिलाल ए झोन क्रमांक 2 में लक्ष्मीनारायण राजू ए झोन क्रमांक 4 में रानीबाई पति विनय ए मिनाक्षी पति योगेश व सुनिताबाई पति मनोज इस तरह 14 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त धनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्त धनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिष्ट सामग्री सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो० नं० 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 15 मार्च । निर्माण एवं विध्वंस अपषिष्ट सामग्री के नियमानुसार निशपादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2०0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिष्ट सामग्री कांक्रीट ए ईंट ए मुरम ए मलबा ए स्टील ए लकड़ी ए प्लास्टिक ए मोर्टर ए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 15 मार्च । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में प्वान पालते हैं वे अपने प्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत प्वान पालकों द्वारा अपने प्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा प्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे प्वानों एवं प्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे प्वान पालक जिन्होंने अपने प्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले प्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

प्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति प्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000₹ एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500₹ प्रति प्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100₹ रूपये जमा कराना होगा। प्वान पालकों को अधिकतम 2 प्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा प्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने प्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने प्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 15 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राशि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 15 मार्च । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हें तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 15 मार्च । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिशठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 15 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 15 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्वजसंविण्हेमन्तध15ण03ण2022धनणपाणनिगमए रतलामण

